रूपनगढ़ 11/2017 रूपनगढ़

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP-A
Crim-1

अपीलाधीन आदेश/अहकाम "आदेश की परिभाषा में नहीं आने से अपील इसी स्तर पर खारिज 01/11/2017

अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी** मुकाम **अजमेर**

अपीलार्थी पु० श्री माधु गुर्जर नि० ग्राम परतूणा, तह० रूपनगढ़ (अजमेर) वगै० बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ (अजमेर) व अन्य

किस्म मुकदमा 225 राज० काश्त० अधिनियम नम्बर 268 सन् 2017 (रूपनगढ़ (परतूणा))

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2017/00268 श्री महेन्द्र सिंह चौहान एड० अपीलार्थी श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
01/11/2017	यह अपील श्री महेन्द्र सिंह चौहान एड्वोकेट ने विद्धान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के आदेश दिनांक 27.09.2017, प्रकरण संख्या 27/2017 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गयी। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गयी। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया हैं। अपील के क्षैत्राधिकार पर एवम् प्रार्थना पत्र स्थगन पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलांट ने एक राजस्व वाद प्रस्तुत किया तथा साथ ही वाद के तथ्यों के आधार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया। ,जिस पर प्रार्थी/अपीलांट के अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किये जावें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ ने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर दिया और अन्तरिम स्थगन बाबत् कथन किया गया कि अप्रार्थीगण की सुनवाई किये जाकर, प्रकरण में अन्तरिम स्थगन जारी किये जायेगा। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 27.09.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं। अभिभाषक अपीलांट ने बहस में आगे बताया कि विवादित आराजी अपीलांट के पूर्वजों की कब्जेकाश्त की भूमि हैं जिससे रेस्पोडेन्टस, अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा हैं इसलिए न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण को केवल मात्र नोटिस जारी करने का आदेश जारी किया है। प्रथमदृष्टया प्रकरण पोषणीय नही होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी	निरन्तर ......

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

P.T.O.

रूपनगढ़
268/2017/225 जगदीश वगैरह **बनाम** सरकार व अन्य

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2017/00268 श्री महेन्द्र सिंह चौहान एडवोकेट श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
निर्णय	जगदीश वगैरह बनाम राज.सरकार अधिनियम के तहत पेश हुई। 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत "आदेश" परिभाषित है। अपीलाधीन आदेश/अहकाम आदेश की परिभाषा में नही आने से अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। मिशल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	